फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 96/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/101) **श्री हरिश सोनी बनाम तहसीलदार देलवाड़ा व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.07.2024	उपस्थिति दौराने बहसः- 1. कमलेश चौहान - वकील अपीलार्थी 2. राजकीय पेरोकार श्री मुरलीधर पालीवाल - वकील प्रत्यर्थी **अनवान** 1. श्री हरिश पिता श्री मनोहरलाल सोनी, निवासी नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमंद। **अपीलार्थी** 1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, देलवाड़ा। 2. जिला कलक्टर, राजसमंद। **प्रत्यर्थी** **अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद का निर्णय दिनांक 12.07.2022, प्रकरण संख्या 17/2022, बउनवानी श्री हरिश सोनी बनाम तहसीलदार, राजसमंद** **<u>निर्णय</u>** दिनांक 22.07.2024 उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद का निर्णय दिनांक 12.07.2022, प्रकरण संख्या 17/2022, बउनवानी श्री हरिश सोनी बनाम तहसीलदार, राजसमंद, के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अधिनियम के पेश की गई है। प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है- • पटवारी हल्का लालमादड़ी ने तहसीलदार, देलवाड़ा समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया कि ग्राम लालमादड़ी में श्री भेरूजी धर्मराज जी स्थान देह की भूमि आ.नं. 1043 रकबा 0.07.06 बिस्वा में से करीब 0.01 बिस्वा भूमि पर श्री हरिश पिता श्री मनोहरलाल सोनी, निवासी नाथद्वारा ने अतिक्रमण कर मिट्टी का भराव डालकर भूमि के स्वरूप को नुकसान पहुंचाकर अन-उपजाऊ बना दिया है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार, देलवाड़ा द्वारा प्रकरण दर्ज कर अपने निर्णय दिनांक 14.09.2020 से अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित करते हुए आदेश प्रसारित किया कि वह 7 दिवस में भराव की गई सम्पूर्ण मिट्टी हटा लेवें, उक्त अवधि में नहीं हटाये जाने पर सरकार द्वारा मिट्टी हटाई जावेगी जिसका समस्त खर्चा विपक्षी से वसूल किया जावेगा। • तहसीलदार, देलवाड़ा के निर्णय दिनांक 14.09.2020 से असंतुष्ठ होकर अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद समक्ष अपील अन्तर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के पेश की। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करते हुए निर्णय दिनांक 12.07.2022 पारित किया। न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद के उक्त निर्णय दिनांक 12.07.2022 व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर समक्ष अन्दर मयाद प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। तत्पश्चात् न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 1485 दिनांक 06.09.2023 के क्रम में जिला सलुम्बर व राजसमंद का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 96/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/101) **श्री हरिश सोनी बनाम तहसीलदार देलवाड़ा व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से प्रकरण स्थानांतरित होकर प्राप्त हुआ जिसे दिनांक 11.09.2023 को दर्ज रजिस्टर हुई। पक्षकारान/अधिवक्तागण को तद्नुसार सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील पक्षकारान उपस्थित, जिनकी बहस दिनांक 19.07.2024 को सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील मेमों व मौखिक बहस में प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी का वादग्रस्त भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है बल्कि मौके पर अपीलार्थी द्वारा अपनी भूमि क्रय करने से पूर्व ही यह भूमि रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग की जा रही है। अपीलार्थी द्वारा पंजीकृत विक्रय विलेख से उक्त भूमि आराजी संख्या 1037 दिनांक 11.06.2016 प्राप्त किया था तथा उसका उपयोग उपभोग अपीलार्थी द्वारा किया जा रहा है, मौके पर अपीलार्थी की भूमि में पहुंच हेतु नेशनल हाईवे से 30 फीट चौड़ा रास्ता मौजुद था, जो उसके विक्रय विलेख में भी उल्लेख किया गया है और क्रय दिनांक से इस भूमि का उपयोग उपभोग किया जा रहा है। अपीलार्थी द्वारा अपनी आवासीय रूपान्तरित भूमि का पहुंचने के लिये यही एकमात्र रास्ता है, इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। जिस भूमि को मंदिर की भूमि बताई जा रही है, वह भूमि पूर्व में निजी खातेदार श्री शिवनारायण शिवलाल की भूमि थी। रूपान्तरण की कार्यवाही स्वयं तहसीलदार द्वारा की गई, वक्त रूपान्तरण तहसीलदार स्वयं द्वारा रूपान्तरण पत्रावली में 30 फीट चौड़ा रास्ता मौके पर इस भूमि से नेशनल हाईवे से उपलब्ध होने के आधार पर ही उक्त भूमि रूपान्तरित की गई। उक्त रास्ते के संबंध में स्वयं ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ति प्रदान की गई। फिर भी तहसीलदार द्वारा उक्त कार्यवाही की गई और अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर द्वारा उसे यथावत रख कर विधिक त्रुटि कारित की है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। अपीलार्थी के पास अपनी क्रय शुदा भूमि पर जाने हेतु कोई रास्ता मौजूद नहीं है, ऐसी स्थिति में उसे धारा-91 की कार्यवाही में बेदखल नहीं किया जा सकता है। उक्त सभी परिस्थितियों के मध्यनजर अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को निरस्त फरमाया जावें।

प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता राजकीय पेरोकार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित निर्णय पूर्णतया विधि सम्मत एवं विधिक प्रक्रिया के पालन उपरान्त पारित किये जाने से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने का अनुरोध किया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों समक्ष अपीलार्थी को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया, परन्तु वह दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा। विवादित आराजी संख्या 1043 मंदिर की भूमि होकर राज्य सरकार द्वारा परिपत्र दिनांक 12.07.2020 से सभी मंदिर/मूर्तियों की अतिक्रमित भूमि पर तहसीलदार को कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। जहां तक रास्ते का प्रश्न है, इस हेतु अपीलार्थी को सक्षम न्यायालय समक्ष चाराजोही कर वांछित अनुतोष प्राप्त करना चाहिए। अतिक्रमण के संबंध में धारा-91 के प्रावधान है, जिसमें अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधि सम्मत आदेश पारित किये है, जिसमें कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं होने से अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

हमने उपस्थित अधिवक्ता की विद्वतापूर्ण बहस व अपील मेमों के अंकित कथनों पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पटवारी हल्का लालमादड़ी ने

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 96/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/101) **श्री हरिश सोनी बनाम तहसीलदार देलवाड़ा व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

तहसीलदार, देलवाड़ा समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया कि ग्राम लालमादड़ी में श्री भेरूजी धर्मराज जी स्थान देह की भूमि आ.नं. 1043 रकबा 0.07.06 बिस्वा में से करीब 0.01 बिस्वा भूमि पर श्री हरिश पिता श्री मनोहरलाल सोनी, निवासी नाथद्वारा ने अतिक्रमण कर मिट्टी का भराव डालकर भूमि के स्वरूप को नुकसान पहुंचाकर अन-उपजाऊ बना दिया है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार, देलवाड़ा द्वारा प्रकरण दर्ज कर अपने निर्णय दिनांक 14.09.2020 से अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित करते हुए आदेश प्रसारित किया कि वह 7 दिवस में भराव की गई सम्पूर्ण मिट्टी हटा लेवें, उक्त अवधि में नहीं हटाये जाने पर सरकार द्वारा मिट्टी हटाई जावेगी जिसका समस्त खर्चा विपक्षी से वसूल किया जावेगा। तहसीलदार, देलवाड़ा के निर्णय दिनांक 14.09.2020 से असंतुष्ठ होकर अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद समक्ष अपील अन्तर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के पेश की। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करते हुए निर्णय दिनांक 12.07.2022 पारित किया। उक्त निर्णयों से व्यथीत होकर हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावलियों पर उपलब्ध दस्तावेजों/साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी संख्या 1043 की भूमि वर्तमान में श्री भेरूजी धर्मराज के नाम है। राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग द्वारा मंदिर भूमि पर किये गये अतिक्रमण के विरूद्व कार्यवाही करने हेतु नियमित रूप से परिपत्र एवं निर्देश जारी किये जाते रहे जिसमें परिपत्र दिनांक 12.08.2018 एवं उसके अनुसरण में जारी निर्देश दिनांक 10.01.2019, 24.04.2019, 09.05.2019, 07.11.2019, 18.02.2020 एवं 20.08.2020 प्रमुख रहे है। परिपत्र दिनांक 12.08.2018 अनुसार-

> 5. मंदिर भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति पुजारी या पटवारी द्वारा ध्यान में लाये जाने पर तहसीलदार अतिक्रमी के विरूद्ध कार्यवाही इस प्रकार करेंगे जैसे कि राजकीय भूमि पर अतिक्रमी के विरूद्ध करते है तथा मंदिर मूर्ति के हितों के संरक्षण हेतु दायित्वाधीन होंगे। जिला कलक्टर मूर्तिमंदिर की भूमि संबंधी अतिक्रमण रिपोर्ट सिवायचक/चारागाह भूमि की तरह राजस्व कर्मियों से नियमित रूप से प्राप्त कर धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत उनके प्रकरण दर्ज कर तद्नुसार प्रभावी निस्तारण करेगें।

इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध आयुक्त, देवस्थान विभाग, राजस्थान द्वारा अपने अ.शासकीय पत्र दिनांक 19.06.2020 अनुसार मंदिर भूमि पर किये अतिक्रमण पर कार्यवाही हेतु निर्देश जारी किये है। इस प्रकरण में यह निर्विवादित है कि उक्त आराजी संख्या 1043 भूमि श्री भेरूजी धर्मराज के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है, जिसके कुछ भाग पर अपीलार्थी द्वारा मिट्टी डालकर अतिक्रमण किया गया है, जिससे वर्तमान प्रकरण में 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत है, जिसमें अतिक्रमण कर लिये जाने पर विधि अनुसार कार्यवाही की जाती है।

दौराने बहस एवं जरिये अपील मेमों, अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा विभिन्न उजर प्रस्तुत किये गये, जिसके अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा वही उजर प्रस्तुत किये गये जो अधीनस्थ न्यायालय समक्ष भी प्रस्तुत किये गये जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक परिक्षण कर अपना अभिवचन अभिलिखित करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया। अपने कथनों का दस्तावेजी साक्ष्य से सफलतापूर्वक साबित करने का भार सर्वदा लाभार्थी पर ही होता

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 96/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/101) **श्री हरिश सोनी बनाम तहसीलदार देलवाड़ा व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

है, परन्तु इस प्रकरण में अपीलार्थी हस्तगत अपील में वर्णित कथनों को साबित करने में असफल रहा है। जहां तक अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये जाने का प्रश्न है, यह मान भी लिया जाये की अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उसे अवसर प्रदान नहीं किया गया परन्तु अपीलीय न्यायालयों समक्ष उसे पर्याप्त सुनवाई के अवसर प्रदान किये गये फिर भी अपीलार्थी आलौच्य आदेशों में किये विवेचन का सफलतापूर्वक खण्डन करने के असफल रहा है। जहां तक रास्ते के संबंध में अपीलार्थी के कथनों का प्रश्न है, इस हेतु वह सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर वांछित अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है।

अपीलार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-5(44) के अनुसार अतिक्रमी है, जिसे राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-91 के तहत बेदखल किया जा सकता है। तहसीलदार ने धारा-91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 के तहत अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित करते हुए आदेश प्रसारित किया कि वह 7 दिवस में भराव की गई सम्पूर्ण मिट्टी हटा लेवें, उक्त अवधि में नहीं हटाये जाने पर सरकार द्वारा मिट्टी हटाई जावेगी जिसका समस्त खर्चा विपक्षी से वसूल किया जावेगा, का जो निर्णय प्रदान किया है, वह विधि सम्मत, न्यायसंगत एवं तर्क संगत है। जिला कलक्टर, राजसमंद द्वारा तहसीलदार, देलवाड़ा के निर्णय को यथावत रख कर उचित निर्णय प्रदान किया है, ऐसे तर्कसगत एवं विधिसम्मत निर्णय में हम कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार **अपील अपीलान्ट अस्वीकार** की जाती है। अधीनस्थ न्यायालयों यथा जिला कलक्टर, राजसमंद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.07.2022 एवं तहसीलदार, देलवाड़ा का निर्णय दिनांक 14.09.2020 यथावत रखा जाता है। तहत का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(सी.आर.देवासी)
R.A.S.
अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर